उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास विभाग
का
कार्य विवरण

वर्ष 2017–2018

उत्तर प्रदेश शासन

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय–1: सामान्य विवरण	1–14
अध्याय–2: उत्तर प्रदेश का शहरी परिदृश्य	15–20
अध्याय–3: नगर निगमों के कार्यकलाप	21–34
अध्याय–4: नगर पालिका परिषदों के कार्यकलाप	35–164
अध्याय–5: नगर पंचायतों के कार्यकलाप	164–398
अध्याय–6: निकायों की सड़क लम्बाई	399
(I) पक्की सड़क	400–402
(II) अर्द्धपक्की सड़क	403–405
(III) कच्ची सड़क	406–408

प्राक्कथन

स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नगर विकास विभाग का वार्षिक कार्य विवरण वर्ष 2017–18 प्रकाशित किया जा रहा है।

यह एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है। इसमें प्रदेश की विभिन्न खण्डों से संबंधित राज्य के नगर स्तरीय आधारभूत तथ्यात्मक सूचनायें प्रस्तुत की गयी हैं तथा विकास के महत्वपूर्ण मदों की सूचनाओं का निकायवार समावेश किया गया है। इसमें प्रयुक्त ऑकड़ें उत्तर प्रदेश के नागर निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों के आधार पर प्रकाशित किये गये हैं। इस प्रकाशन हेतु ऑकड़ें उपलब्ध कराने के लिये नागर निकायों द्वारा दिये गये सहयोग तथा स्थानीय निकाय निदेशालय के परिश्रम एवं प्रयास के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

मुझे विश्वास है कि यह महत्वपूर्ण प्रकाशन, नीति निर्धारण एवं विश्लेषण में लगे योजनाकारों, शिक्षाविदों, प्रशासकों एवं शोधकर्ताओं की आवश्यकताओं तथा देश एवं प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों के अध्ययन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकाशन को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु उपयोगकर्ताओं के सुझावों का सहर्ष स्वागत है।

दिनांक : लखनऊ:

Manoj 15.2.18

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

प्रस्तावना

शासन के निर्देशानुसार स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा विगत वर्षो से नगर विकास विभाग के कार्यकलाप का प्रकाशन प्रति वर्ष नियमित रूप से किया जा रहा है। तत्क्रम में वर्ष 2017–18 का विभागीय कार्यकलाप प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के नागर निकायों के क्षेत्रफल, जनसंख्या, कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या, आय–व्यय, कम्प्यूटराइजेशन, तालाब/पोखरों/झीलों, कूड़े की उपलब्धता/निस्तारण तथा निकायों द्वारा संचालित विद्यालय/चिकित्सालयों के आँकड़ों का समावेश किया गया है। इसमें प्रकाशित आँकड़े नागर निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के आधार पर प्रदर्शित किये गये हैं तथा जिन्हें यथासम्भव प्रमाणिक बनाने का प्रयास किया गया है।

मैं नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के सम्बन्धित अधिकारियों /कार्मिकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग से निर्धारित समयावधि में आँकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी है। **श्री विशाल भारद्वाज, अपर निदेशक** व **श्री प्रेम प्रकाश उपाध्याय (सहायक निदेशक)** के पर्यवेक्षण में **श्री अशोक कुमार सिंह (अपर सांख्यिकीय अधिकारी)** एवं **श्री राम नरेश (अपर सांख्यिकीय अधिकारी)** द्वारा आँकड़ों का संकलन एवं सारणीयन किया गया तथा पाण्डुलिपि तैयार कर इसको कम्प्यूटरीकृत कराया गया। श्री सतीश चन्द्र जोशी एवं अन्य सहयोगी कार्मिकों द्वारा टंकण एवं तालिका तैयार की गयी है। मैं इन सभी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

मुझे आशा है कि प्रस्तुत अंक नीति निर्माताओं, प्रशासकों, नियोजकों, शोधकर्ताओं तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं की संरचना में उपयोगी सिद्ध होगा। इसे और अधिक उपयोगी बनाने हेतु सुझावों का हार्दिक स्वागत है।

दिनांक : लखनऊ :

(डा0 अनिल कुमार सिंह)
निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

अध्याय –1

प्रदेश की नगरीय स्थानीय निकाय का सामान्य विवरण

- उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभग 22 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन, नगरीय यातायात में दिन–प्रतिदिन हो रही वृद्धि आदि के कारण शहरों की अवस्थापना सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव आ गया है। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं यथा– जलापूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन, जल निकासी, सड़क, परिवहन, पर्यावरण आदि के स्तर में निरन्तर सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। **उत्तर प्रदेश में कुल 653 नगरीय स्थानीय निकायें हैं, जिसमें 16 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद एवं 438 नगर पंचायत हैं।** प्रदेश की इन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अपने सीमित संसाधनों एवं राज्य सरकार के सहयोग से नागरिकों को आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।

- भारत में कुल 3,842 स्थानीय नागर निकाय हैं जिनमें से 653 उत्तर प्रदेश में है, जो कुल स्थानीय नागर निकाय का 16 प्रतिशत है।

- वर्ष 2011 की जनगणना के ऑकड़ो के अनुसार देश में कुल 4041 स्टेट्यूटरी टाउनस् है जिनमें से 648 उत्तर प्रदेश में हैं, जो कुल संख्या का 16 प्रतिशत है।

- वर्ष 2011 की जनगणना के ऑकड़ों के अनुसार देश में कुल 3,894 सेन्सेस टाउनस् है जिनमें से 267 उत्तर प्रदेश में है।

- भारत की कुल शहरी जनसंख्या (37.71 करोड़) के सापेक्ष 12 प्रतिशत शहरी जनसंख्या (4.45 करोड़) उत्तर प्रदेश में निवास करती है।

- उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 22.28 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है।

- अटल मिशन फॉर अर्बन रिजूवनेशन एण्ड ट्रासंफारमेशन–**अमृत** के अन्तर्गत् प्रदेश के 60 शहर आच्छादित हैं।

नगर विकास विभाग : एक अवलोकन

नगर विकास विभाग का संगठन

सभ्यता के विकास के साथ शहरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्रो में अवस्थापना तथा मूलभूत नागरिक सुविधाओं पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव होने के कारण कालान्तर से ही शहरों के सुनियोजित विकास की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को एक स्वतन्त्र इकाई, नगरीय स्थानीय निकाय, के रूप में अंगीकार किया गया है। नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को मूलभूत नागरिक सुविधाएं यथा– स्वच्छ पेयजलापूर्ति, सड़कें/गलियां, जल निकासी, सफाई व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, सीवरेज व्यवस्था, मार्ग प्रकाश, पार्क, स्वच्छ पर्यावरण आदि उपलब्ध कराया जाना इन स्थानीय निकायों का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। प्रदेश की नागर स्थानीय निकायों के कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण के साथ नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर विकास विभाग का गठन किया गया है। नगर विकास विभाग द्वारा उक्त कार्यों के अतिरिक्त शहरों में सेनिटेशन, पर्यावरण संरक्षण तथा नदियों एवं झीलों में प्रदूषण नियंत्रण आदि का कार्य भी किया जा रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व राज्य सरकार स्तर पर इस विभाग का नाम 'लोक स्वास्थ विभाग' था, जिसे बाद में 'स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग' नाम दिया गया। कालान्तर में इसे 'आवास एवं नगर विकास विभाग' कहा गया। वर्तमान में इस विभाग को दो अलग–अलग विभागों यथा – 'आवास एवं शहरी नियोजन विभाग' तथा 'नगर विकास विभाग' में विभाजित कर दिया गया है। शासन स्तर पर नगर विकास विभाग का कार्यालय बापू भवन में अवस्थित है। विभाग के कार्यों के सम्पादन हेतु इसको 09 अनुभागों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त गंगा सेल व लेखा अनुभाग भी है।

- **स्थानीय निकाय निदेशालय :**

भारत सरकार द्वारा गठित रूरल अरबन रिलेशनशिप कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर उ0प्र0 शासन द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1971 में स्थानीय निकाय निदेशालय के गठन की परिकल्पना की गई जो व्यावहारिक रूप में वर्ष 1973 में गठित किया गया। स्थानीय निकाय निदेशालय में एक निदेशक होता है जो अपने अधीनस्थ अन्य कार्मिको के सहयोग से विभिन्न प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों का निर्वहन करता है।

<u>स्थानीय निकायनिदेशालय के कार्य</u>

1. प्रशासनिक कार्य –

1.1 अधिष्ठान संबंधी कार्य–निदेशालय द्वारा उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के समूह ''ख'' एवं ''ग'' के अधिकारियों/कर्मचारियों के समस्त सेवा संबंधी कार्य।

1.2 विभागीय अनुशासनिक जांच/शिकायती जांच।

1.3 उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन/उपादान एवं राशिकरण के प्रकरणों का निस्तारण।

1.4 अकेन्द्रीयित सेवा के पद सृजन एवं अन्य प्रकरणों का परीक्षण कर शासन को अग्रसारण।

1.5 अकेन्द्रीयित सेवकों के संबंध में अतिवय में की गयी नियुक्ति के प्रकरणों में अधिकतम आयु सीमा से छूट प्रदान किया जाना।

1.6 उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–92 के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में निकायों का बजट पारित किया जाना।

1.7 तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुतियों पर शासन के निर्णय के अनुसार प्रदेश की नगर पालिकाओं को धनराशि का संक्रमण/वितरण।

1.8 सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचनाओं को उपलब्ध कराना।

1.9 नागर स्थानीय निकायों में जन्म–मृत्यु पंजीयन का अनुश्रवण।

1.10 ई–गवर्नेन्स एवं कार्यालय में दक्षता प्राप्त करने हेतु समयबद्धता के आधार पर सूचनाओं को प्राप्त एवं उपलब्ध कराने के निमित्त प्रदेश के समस्त जनपदों के नोडल अधिशासी अधिकारियों के कार्यालय में कम्प्यूटर आदि की स्थापना कर उसको कनैक्टीविटी से जोड़ने संबंधी कार्य।

2. वित्तीय कार्य–

2.1 राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निदेशक के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि को नागर निकायों को आवंटित किया जाना ।

2.2 14 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार अनुमन्य धनराशि निकायों को आवंटित करना व उसकी उपयोगिता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर शासन के माध्यम से भारत सरकार व महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित करना।

2.3 निकायों का बजट परीक्षण करना।

2.4 निदेशालय स्तर पर प्रतिमाह शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्थानीय नागर निकायों की कर एवं करेत्तर वसूली समीक्षा करना।

2.5 नगरीय निकायों को आर्थिक संसाधनो में वृद्धि तथा अन्य अपेक्षित विषयो के लिए मार्गदर्शन देना।

वर्ष 2017–18 में नव सृजित नागर निकायों का विवरण

नगर निगम

क्र0 सं0	निकाय का नाम	जनपद
1	अयोध्या	फैजाबाद
2	मथुरा–वृन्दावन	मथुरा

नगर पालिका परिषद

क्र0 सं0	निकाय का नाम	जनपद
1	भरवारी	कौशाम्बी

नगर पंचायत

क्र0 सं0	निकाय का नाम	जनपद
1	कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल	गोरखपुर

3–योजनायें :–

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन योजना

यूआईजी कार्यान्श :

- जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के कुल आवंटन रू0 2769.41 के सापेक्ष रू0 5363.62 करोड़ की जलापूर्ति,सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनजमेंट,ड्रेनेज की 33 विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश के सात शहरों–लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर , मेरठ व मथुरा में कराया गया । अब इस कार्यान्श में केवल पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में यूआईजी कार्यान्श में रूपए 85.74 करोड़ का बजट प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रूपए 59.73 करोड़ की धनराशि निदेशक ,नगर निकाय ,उत्तर प्रदेश को, जो इस कार्यक्रम के स्टेट लेबल नोडल एजेंसी है को अवमुक्त किया गया है। कुल 33 परियोजनाओं में से 11 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त शेष 28 परियोजनाओं की वित्तीय वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर विवरण निम्नानुसार हैः–

यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 :

- जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यान्श के अन्तर्गत मिशन अवधि के कुल आंवटन रू 1158.05 करोड़ की 64 परियोजनाओं का क्रियान्वयन कराया गया।
- कुल 64 परियोजनाओं में से 47 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त शेष 17 परियोजनायें वित्तीय वर्ष 2017–18 तक पूर्ण की जानी हैं। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

क0सं0	निकाय का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत/पुनरीक्षित लागत (रू लाख)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
2	अलीगढ़	सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	1606.81	पूर्ण
3	आजमगढ़	पेयजल	458.34	90%
4	बदायूं	सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	578.45	70%
5		पेयजल	1118.74	पूर्ण
6	बागपत	पेयजल	318.15/479.09	पूर्ण
7	बलिया	पेयजल	804.23/1397.87	पूर्ण
8	बलिया	जलोत्सारण	4472.31	60%
9		सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	681.66	70%
10	बलरामपुर	पेयजल	616.29/823.90	पूर्ण
11	बाराबंकी	सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	537.43	पूर्ण
12	बस्ती	सड़क	2376.94/3085.42	62%
13		सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	586.11	5%
14		पेयजल	973.26	पूर्ण
15	नानपारा	पेयजल	237.78/331.63	पूर्ण
16	बिजनौर	पेयजल	1036.94/1194.40	पूर्ण

17	बुलन्दशहर	पेयजय	1937.86	पूर्ण
18	खुर्जा	पेयजल	1243.81	पूर्ण
19	देवरिया	पेयजल	1104.06/1602.23	पूर्ण
20	एटा	पेयजल	962.48/1336.48	पूर्ण
21	इटावा	सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	582.10	पूर्ण
22	फैजाबाद	पेयजल	1880.82/2453.60	पूर्ण
23	फतेहपुर	सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	937.93	पूर्ण
24		पेयजल	1570.04/2161.49	पूर्ण
25	फिरोजाबाद	जलोत्सारण	8691.66/11084.07	94%
26		सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	713.50	15%
27		पेयजल	2638.88	पूर्ण
28	गाजियाबाद	सड़क	9087.67/20589.31	95%
29		पेयजल	3108.12/4442.00	पूर्ण
30	हापुड़	पेयजल	2848.96/4267.57	पूर्ण
31	लोनी	जलोत्सारण	7341.24	पूर्ण
32		सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	1181.28	10%
33		पेयजल	4983.63/5863.00	पूर्ण
34	मोदीनगर	पेयजल	2339.17	पूर्ण
35	गाजीपुर	पेयजल	681.50/784.41	पूर्ण
36	गोण्डा	पेयजल	985.71/1448.50	पूर्ण
37	गोरखपुर	सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	1563.60	3%
38		पेयजल	1598.85/1987.19	पूर्ण
39	सण्डीला	पेयजल	693.58/988.65	पूर्ण
40	जौनपुर	सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	1220.39	48%
41	बरुआसागर	पेयजल	718.62	पूर्ण
42	झांसी	सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	1216.00	62%
43	कन्नौज	सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	462.30	पूर्ण
44		पेयजल	885.26/1262.78	पूर्ण
45	पडरौना	पेयजल	615.25/892.04	पूर्ण
46	लखीमपुर	पेयजल	1190.31	पूर्ण
47	मैनपुरी	जलोत्सारण	4874.18/5772.00	पूर्ण
48		सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	428.40	पूर्ण
49	वृन्दावन	ड्रेनेज	2195.16	पूर्ण
50		जलोत्सारण	3463.00	पूर्ण
51	मऊ	पेयजल	555.93/766.50	पूर्ण
52	मिर्जापुर	सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	1100.87	70%
53	मुरादाबाद	सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	1315.70	पूर्ण
54		पेयजल	3719.24/4534.70	पूर्ण

55	सम्भल	सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	655.09	पूर्ण
56		पेयजल	1201.29/1669.73	45%
57	मुजफ्फरनगर	सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	657.50	पूर्ण
58	मुजफ्फरनगर	पेयजल	3214.33/4762.60	पूर्ण
59	रायबरेली	सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	878.00	पूर्ण
60	बरेली	पेयजल	7800.04	95%
61	शाहजहांपुर	पेयजल	999.77	पूर्ण
62	सिद्धार्थनगर	पेयजल	203.36	पूर्ण
63	लहरपुर	पेयजल	178.25/227.70	पूर्ण
64	उन्नाव	पेयजल	385.09	पूर्ण
65	रामनगर	पेयजल	591.93	पूर्ण

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा **जे0एन0एन0यू0आर0एम0 ट्रान्जीशन फेज** में 7 परियोजनाएं (रू0 323.67 करोड़) भी स्वीकृत की जा चुकी है। इस फेज में स्वीकृत सभी परियोजनायें वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण की जानी हैं। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

क0सं0	निकाय का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत/पुनरीक्षित लागत (रू लाख)	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5
1.	अमेठी	पेयजल	999.68/1113.61	50%
2.	औरैया	पेयजल	4120.87/4589.77	90%
3	गाजियाबाद	पेयजल(सिस हिण्डेन पार्ट–1)	7383.14/7863.28	78%
4.	गोरखपुर	पेयजल पार्ट–।।	4830.90/5132.51	69%
5.	कसया	पेयजल	1045.23/1168.49	87%
6.	रायबरेली	पेयजल	10618.4611721.64	70%
7.	सुल्तानपुर	पेयजल	3369.29/3712.02	60%

सेटेलाइट टाउन योजना–यू0आई0डी0एस0एस0टी0

- भारत सरकार की सेटेलाइट टाउन/काउन्टर मैगनेट आफ मिलियन प्लस सिटीज कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित नगर पिलखुवा जनपद गाजियाबाद को चयनित किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत रू0 67.82 करोड़ की जलापूर्ति, सीवरेज तथा सालिड वेस्ट मैनजमेंट एवं जी. आई. एस. सर्वे की 04 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है जिसके सापेक्ष अब तक रू0 54.23 करोड़ एसीए के रूप में प्राप्त हो चुका है।
- **वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस कार्यान्श में रुपए 1.87 करोड़ का बजट प्रावधान है, जिसके सापेक्ष 1.80 करोड़ की धनराशि निदेशक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश को, जो इस कार्यक्रम के स्टेट लेबल नोडल एजेंसी हैं को अवमुक्त किया गया है।**
- 2 परियोजनायें पूर्ण है एवं 2 वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण की जानी प्रस्तावित हैं। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	निकाय का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत लागत (रू लाख)	भौतिक प्रगति
1.	पिलखुआ, नगर पालिका परिषद	पेयजल	2167.55	पूर्ण
2.		सीवरेज	3687.51/4541.73	पूर्ण
3.		सालिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट	897.70	60%
4.		जी0आई0एस0सर्वे	29.30	70%

स्वच्छ भारत मिशन

- भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 02 अक्टूबर 2019 तक सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ''स्वच्छ भारत मिशन'' कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार में 02 अक्टूबर 2018तक ओ0डी0एफ0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य **''खुले में शौच की कुप्रथा'' को समाप्त करना**, नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबन्धन करना, शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्षमता सम्बर्द्धन आदि है। मिशन के घटकों में अस्वच्छ शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में बदलने सहित पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, आई.ई.सी. एवं जनजागरूकता तथा क्षमता निर्माण और प्रशासनिक व कार्यालय व्यय सम्मिलित है।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 45 नागर निकायो द्वारा **''खुले में शौच से मुक्त''** (ओ0डी0एफ0) स्वघोषित किया जा चुका है, जिसमें से 06 निकायों का भारत सरकार स्तर से **(बिजनौर, झालू, किरतपुर, नजीवाबाद, साहनपुर, स्योहरा) थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन कराकर ओ0डी0एफ0 प्रमाण पत्र दिया जा चुका है।** शेष निकायों में ओ0डी0एफ0 थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन भारत सरकार स्तर से कार्यवाही की जा रही है।
- इस मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण सहित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है।
- ''स्वच्छ भारत मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में ''स्टेट लेवल हाई पावर स्टयरिंग कमेटी'' (एस0एच0पी0एस0सी0) गठित है।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निर्धारित कार्य प्रदेश में समयबद्ध रूप से किये जा रहे हैं तथा की जा रही कार्यवाहियों को भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल पर नियमित अपलोड किया जा रहा है।
- सफाई अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त नागर स्थानीय निकायों में कूड़े के कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन आदि कार्यो को तत्परता से किया जा रहा है।
- प्रदेश के समस्त नागर निकायों में स्वच्छता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देष प्रसारित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत स्वच्छता सप्ताह, स्वच्छता पखवारा, स्वच्छता दिवस आदि मनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु जन जागरूकता अभियान प्रदेश के नागर निकायों में चलाये जा रहे है।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में 2,87,139 व्यक्तिगत शौचालयों, 10,004 सामुदायिक शौचालयों तथा 13,850 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में इन योजना के लिए रू0 1000 करोड़ का बजट प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रू0 900.35 करोड़ की कुल धनराशि अवमुक्त की गयी है।

अटल मिशन फॉर रिजूवैनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन योजना–अमृत

- अटल मिशन फॉर रिजूवैनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन योजना–अमृत के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 को राज्य मिशन निदेशक एवं नगरीय निकाय निदेशालय को राज्य मिशन निदेशालय एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सीटीसीपी को जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इस मिशन क्रियान्वयन के कुशल संचालन, मानिंटरिंग एवं परियोजनाओं की समीक्षा हेतु राज्य मिशन निदेशालय स्तर पर स्टेट मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट तथा चयनित 60 नगर निकायों के स्तर पर सिटी मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट को गठित कर संस्थागत व्यवस्था है। राज्य मिशन एवं मिशन निदेशालय को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले परियोजनाओं के प्रबन्धन हेतु मिशन निदेशालय स्तर पर प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट

कन्सल्टेन्ट यूनिट उ0प्र0 जल निगम तथा इस मिशन के सहायतार्थ क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्यन केन्द्र लखनऊ को संसाधन केन्द्र के रूप में नामित है।

- अटल मिशन फार रिजूवेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (अमृत) का आरम्भ 2015 में किया गया। इस योजना की अवधि 2015–16 से 2019–20 (5 वर्ष) तक है। वर्तमान में प्रदेश के 60 शहर इस योजना में आच्छादित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2020 तक प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति करना तथा हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता और नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार करना है।

- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि में लगभग 11421.24 करोड़ रू0 (केन्द्रांश रू0 4922.46 करोड़, राज्यांश रू0 3744.08 करोड़, निकाय अंश रू0 2755.13 करोड़) पेयजल, सीवर आदि पर व्यय किये जायेंगे, जिससे योजना अवधि में 13. 30 लाख परिवारों को पानी का कनेक्शन दिये जाने का प्राविधान है। 152 ओवर हेड टैंक बनाये जाने हैं। 1910 किमी0 सीवर लाईन डाली जानी है एवं 7.30 लाख परिवारों को सीवर कनेक्शन दिये जाने का प्राविधान है। **जनवरी 2018** 100 परियोजनाओं का कार्य मौके पर प्रारम्भ हो चुका है तथा तक 131101 नग निजी पेयजल एवं 130750 नग निजी सीवरेज कनैक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। अन्य परियोजनाओं पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वित्तीय पोषण पद्धतिः– अमृत योजनान्तर्गत केन्द्रांश/राज्यांश/निकायांश के प्रतिशत का निर्धारण शासन के पत्रांक 1651/नौ–5–2016– 39सा/2016, दिनांक 18.05.2016 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः–

क्र.	मिशन के घटक	विवरण	केन्द्रांश प्रतिशत	राज्यांश प्रतिशत	निकायांश प्रतिशत
1	जलापूर्ति	10 लाख से **अधिक** आबादी वाले शहरों के लिए	33.33	36.67	30.00
2	सीवरेज	10 लाख **तक** आबादी वाले शहरों/कस्बों के लिए	50.00	30.00	20.00
3	पार्क एवम् हरित क्षेत्र	–	50.00	30.00	20.00

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से सैप वर्ष 2015–16 के सापेक्ष रू0 281.81 करोड़ व सैप वर्ष 2017–18 के सापेक्ष रू0 375.08 करोड़ की प्राप्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी।

स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (सैप 2015-16) का सारांशः–

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में स्टेट हाई पॉवर स्टीयरिंग कमेटी (एस0एच0पी0एस0सी) की बैठक दिनांक 04.12.2015 में वर्ष 2015–16 हेतु रू0 **3287.27** करोड़ के स्टेट एनुअल एक्शन प्लान **(सैप)** की संस्तुति की गयी। सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित एपैक्स कमेटी की बैठक दिनांक 15.12.2015 में उक्त को स्वीकृत किया गया है।

					(रू0 करोड़ में)
क्र	**सेक्टर**	**डीपीआर**	**केन्द्रांश**	**राज्यांश + निकायांश**	**कुलधनराशि**
1	पेयजल	60	669.66	849.53	**1519.19**
2	सीवेरज	25	704.18	993.44	**1697.62**
3	पार्क	86	35.23	35.23	**70.455**
	महायोग	**171**	**1409.07**	**1878.20**	**3287.27**

- अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में कमिटेड नगरीय सुधारों को मानकानुसार पूर्ण मानकर रू0 63.47 करोड़ के रिफार्म इन्सेन्टिव अनुदान की धनराशि भारत सरकार से सितम्बर, 2016 में प्राप्त की गयी।
- सैप वर्ष 2015–16 की समस्त परियोजनाओं का एसएचपीएससी से अनुमोदन प्राप्त कर पेयजल, सीवरेज व पार्क–ग्रीन स्पेसेज की कुल 204 परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त राज्यांश रू0 259.54 करोड़ व सेन्टेज रू0 192.88 करोड़ व सेन्टेज रू0 69.63 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा निर्गत की गयी।
- साथ ही सैप वर्ष 2015–16 की 24 परियोजनाओं की द्वितीय किश्त केन्द्रांश रू. 53.94 करोड , राज्यांश रू0 38.94 करोड़ व सेन्टेज रू0 14.63 करोड़ की धनराशि भी शासन द्वारा स्वीकृत की गयी।

स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (सैप 2016-17) का सारांशः–

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में स्टेट हाई पॉवर स्टीयरिंग कमेटी (एस0एच0पी0एस0सी) की बैठक दिनांक 27.05.2016 में वर्ष 2016–17 हेतु रू0 **3895.16** करोड़ के स्टेट एनुअल एक्शन प्लान **(सैप)** की संस्तुति की गयी। सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित एपैक्स कमेटी की बैठक दिनांक 15. 06.2016 में उक्त को स्वीकृत किया गया है।

(रू0 करोड़ मे)

क्र	सेक्टर	डीपीआर	केन्द्रांश	राज्यांश	निकायांश	कुलधनराशि
1	पेयजल	58	825.96	680.47	510.99	**2,017.42**
2	सीवेरज	31	771.09	589.48	435.27	**1,795.84**
3	पार्क	114	40.95	24.57	16.38	**81.90**
	महायोग	**170**	**1638.00**	**1294.52**	**962.64**	**3895.16**

- सैप वर्ष 2016–17 की 2782.57 करोड़ की 210 परियोजनाओं का एसएचपीएससी से अनुमोदन प्राप्त कर 148 परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त केन्द्रांश रू. 79.88 करोड राज्यांश रू0 54.82 करोड़ व सेन्टेज रू0 18.81 करोड़ की धनराशि निर्गत करने के आदेश जारी किये गये।
- राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा **जनवरी 2018** तक कुल 201 परियोजनाओ की (पेयजल, सीवरेज तथा पार्क–ग्रीन स्पेसेज), रू0 1985.49 करोड़ की निविदाओ की स्वीकृति प्रदान की गई।

स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (सैप 2017-20)

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में स्टेट हाई पॉवर स्टीयरिंग कमेटी (एस0एच0पी0एस0सी) की बैठक दिनांक 31.01.2017 में शेष वर्ष 2017–20 हेतु रू0 **4239.24** करोड़ के स्टेट एनुअल एक्शन प्लान **(सैप)** की संस्तुति की गयी। सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित एपैक्स कमेटी की बैठक दिनांक 15.03.2017 में उक्त को स्वीकृत किया गया है।

						(रू0 करोड़ में)
क्र	सेक्टर	डीपीआर	केन्द्रांश	राज्यांश	निकायांश	कुल धनराशि
1	पेयजल	46	878.81	646.51	470.70	1996.02
2	सीवेरज	47	949.70	694.87	504.89	2149.46
3	पार्क	61	46.88	28.13	18.75	93.76
	महायोग		**1875.39**	**1369.51**	**994.34**	**4239.24**

वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के लिए रुपए 2000.00 करोड़ का बजट प्रावधान है, जिसके सापेक्ष जनवरी 2018 तक रुपए 601.19 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किया गया है।

<u>नगर निकाय स्तरीय आवश्यक सुधार</u>

अटल मिशन फार रिजूवेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफारमेशन (अमृत) के सुधारो के अन्तर्गत ई–सुशासन सुधार(ई–गर्वेनेन्स रिफार्म) के अन्तर्गत प्रदेश की नगरीय स्थानीय निकायों को एक प्लेटफार्म पर लाकर उनके सभी कार्यकलापों में एकरूपता लाने एवं जनमानस को निकायों द्वारा मुहैया करायी जा रही सेवाओं को पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रानिक्स मोड के विभिन्न माध्यमों द्वारा जनमानस को प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय नगरीय निकाय पोर्टल **<u>ई–नगरसेवायूपी.जीओवी.इन/यूएलबीएपीपीएस</u>** का विकास एन0आई0सी0 उ0प्र0 द्वारा किया गया है। जिसके प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त अमृत नगरों को जोड़ा गया है। उक्त पोर्टल पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर माड्यूल्स (जन्म–मृत्यु, गृहकर, जलकर, लाइसेंस, जल एवं सीवर सयोजन ,शिकायत, नामांतरण इत्यादि) पर कार्य किया जा रहा है। इस हेतु निकाय स्तर पर विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही एन0आई0सी0 द्वारा अमृत नगरों के गृहकर, जलकर,लाइसेन्स, नामांतरण पर डाटा का माईग्रेशन किया जा रहा है। इससे निकाय स्तर पर जन मानस को दी जा रही सुविधाओं में पारदर्शिता एवं सुधार परिलक्षित हो रहा है। द्वितीय चरण में नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों को राज्य स्तरीय नगरीय निकाय के उक्त पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा, जिससे प्रदेश स्तर पर सभी 653 नगर निकायों में सेवाए आन लाइन उपलब्ध हो जायगी। पी0आई0एस0 पी0एम0एस0 वेतन पेन्शन जैसे माडल भी विकसित है जिनसे कार्मिकों एवं परियोजनाओं का विवरण आन लाईन उपलब्ध हो जायगा तथा रख रखाव एवं समीक्षा प्रभावी ढ़ग से विभिन्न स्तरों पर सरलता पूर्वक हो जायगी।

<u>प्रदेश के निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली का क्रियान्वयन</u>

उत्तर प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों एकल लेखा प्रणाली वर्ष 1918 में लागू की गयी है। इस अवधि में जनसंख्या, संसाधन, आय–व्यय, परिसम्पत्तियों, निकाय के दायित्वों व नागरिकों की अपेक्षाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पिछले कुछ दशको में तकनीकी और आर्थिक परिवेश में भी एक बड़ा बदलाव आया है जबकि निकायों में एकल लेखा प्रणाली बिना किसी परिवर्तन के लगभग चौरानवे वर्ष से लागू है। नयी चुनौतियों व वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निकायों के लेखा अनुरक्षण की प्रक्रिया, नियमों तथा अनुदेशों में संशोधन को आवश्यक मान 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि निकायों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक्रुअल आधारित दोहरी लेखा प्रणाली को लागू करें। उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 2008 में शासनादेश द्वारा 13वें वित्त आयोग व जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के दिशा–निर्देशो के क्रम में राज्य के समस्त स्थानीय नागर निकायों में एक्रुअल आधारित दोहरी लेखा प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया। इस प्रणाली को

औपचारिक स्वरूप देने हेतु राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा मैनुअल में दी गयी प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश लेखा मैनुअल, 2012 तथा उत्तर प्रदेश लेखा कोड 2012 को तैयार कर लिया गया है। जिनके अनुमोदन की प्रक्रिया शासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। लेखा प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए शासन द्वारा लेखा साफ्टवेयर भी तैयार कराया जा रहा है जो सभी निकायों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। इससे सभी निकायों के लेखा अनुरक्षण में एकरूपता आयेगी। इस साफ्टवेयर को नगर विकास विभाग द्वारा संचालित ई–गवर्नेंस परियोजना से भी जोड़ा जा रहा है।

यह सुधार नागर निकायों की कार्य प्रणाली एवं लेखा के रख रखाव में एक मूलभूत व सकारात्मक परिवर्तन लायेगा। अभी तक प्रचलित रही रोकड़ आधारित एकल लेखा प्रणाली में बैलेन्स शीट न बनने के कारण निकायों की देनदारी, लेनदारी तथा चल–अचल सम्पत्तियों आदि की स्थिति स्पष्ट नही रहती थी। साथ ही अचल सम्पत्तियों जैसे भूखण्डो, पार्को तथा भवनों आदि का अध्यावधिक प्रमाणिक अभिलेख प्रत्येक वर्ष के लेखें में न दर्शाने के कारण इन सम्पत्तियों के अतिक्रमण तथा दुरूपयोग की पूरी–पूरी सम्भावना बनी रहती थी। यह उल्लेखनीय है कि बैलेन्स शीट तैयार करना दोहरी लेखा प्रणाली का एक आवश्यक अंग है। बैलेन्स शीट में समस्त लेनदारियां, ऋणों, दायित्वों, चल तथा अचल सम्पत्तियों उनके ह्रास, विनियोजन, स्टाक–स्टोर्स के विवरण आदि की सत्यापित/प्रमाणिक सूचना उपलब्ध रहती है। यदि नयी लेखा प्रणाली के व्यापक प्रभाव को देखा जाय तो निकायों की वित्तीय प्रबन्धन में अधिक पारदर्शिता आयेगी जिससे नागरिको व निवेशको में स्थानीय निकायों की साख बढेगी जिसके परिणामस्वरूप संभावित निवेशक आकृष्ट होंगे व निकाय अपनी निधि को बढ़ाने हेतु बान्ड सफलता पूर्वक जारी कर सकेंगें। निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्षमता सम्बर्द्धन हेतु

1– क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
2– इंस्टिटयूट फॉर स्पेटियल प्लानिंग एण्डं एनवारमेन्ट रीसर्च, पंचकुला
3– इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद

प्रशिक्षण इकाई के रूप में अनुबन्धित है। सम्प्रति नगर निकायों के 1375 कार्मिकों की तथा 132 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की क्षमता सम्बर्द्धन की गई। वर्ष 2016–17 में किये गये सुधारों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किये गये तथा मानक अंको और प्राप्ताकों के आधार पर प्रोत्साहन राशि रू0 65,88,00,000/–स्वीकृत की गई। वर्ष 2017–18 के सुधार राज्य एवं नगर निकाय स्तर किये जा रहे है, जिनका मूल्यांकन भारत सरकार में आगामी वित्त वर्ष में किया जायेगा।

स्मार्ट सिटी मिशन

- स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसके अन्तर्गत नागरिकों की आकांक्षाओं आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप शहर को आदर्श रूप में विकसित करना है। इसका उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो अपने नागरिकों को गुणवत्तापरक जीवन स्तर के साथ स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते है तथा ''स्मार्ट'' समाधान लागू करते है।

- योजना की अवधि 2015–16 से 2019–20 (5 वर्ष) तक है। योजना का उद्देश्य निकाय में चयनित क्षेत्र का आर्थिक विकास और बुनियादी ढ़ाचा प्रदान करते हुये नागरिकों के लिये बेहतर जीवन स्तर के साथ–साथ स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण प्रदान करना और स्मार्ट एप्लीकेशन का प्रयोग करना है। प्रत्येक शहर के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 100 करोड़ रूपया अनुदान के रूप मे दिये जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा भी केन्द्रान्श के बराबर राज्यांश दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

- प्रदेश की 13 निकायों को स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित किये जाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 04 निकाय लखनऊ, कानपुर, आगरा एवं वाराणसी मार्च, 2017 तक स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किये गये थे। सरकार के सतत् प्रयास के फलस्वरूप 03 निकाय अलीगढ़, झांसी एवं

इलाहाबाद नगरीय निकाय जून, 2017 में एवं 03 निकाय मुरादाबाद, सहारनपुर एवं बरेली जनवरी, 2018 में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में चयनित हुये हैं। शेष 04 नगरीय निकायों गाजियाबाद, मेरठ, रायबरेली एवं रामपुर का भी चयन स्मार्ट सिटी में कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

- उक्त चयनित 10 स्मार्ट सिटी में से 07 नगरों में एस0पी0वी0 का गठन एवं 6 नगरों में भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पी.एम.सी का चयन कर लिया गया है।

- स्मार्ट सिटी मिशन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में रू0 1500.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है जिसके सापेक्ष जनवरी 2018 तक रू. 883.60 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है।

स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत चयनित 10 शहरों में भारत सरकार से अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के विवरण–

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क0सं0	**शहर का नाम**	2015	2016	2017 **(केन्द्रांश)**	**2017(राज्यांश)**
1	लखनऊ	2.00	66.20	119.80	119.80
2	वाराणसी	2.00	–	107.00	107.00
3	कानपुर	2.00	–	107.00	107.00
4	आगरा	2.00	–	107.00	107.00
5	झांसी	2.00	–	–	–
6	इलाहाबाद	2.00	–	–	–
7	अलीगढ़	2.00	–	–	–
8	सहारनपुर	2.00	–	–	–
9	बरेली	2.00	–	–	–
10	मुरादाबाद	2.00	–	–	–
योग		**20.00**	**66.20**	**440.80**	**440.80**

राज्य सेक्टर/जिला सेक्टर की प्रमुख योजनाएं

(1) आदर्श नगर योजना :

- राज्य सरकार द्वारा एक लाख से कम आबादी की छोटे व मझले नगरों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को समग्र रूप से विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में **''आदर्श नगर योजना''** लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत **नागर निकायों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, इण्टरलाकिंग सड़क, डामरीकरण सड़क, नाली निर्माण, दुकानों का निर्माण, शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण, विवाह घर का निर्माण, सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, पोखरों का सौन्दर्यीकरण कार्य, मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी लाईट, एलईडी हाईमास्ट लाइट, सोलर लाइट, सोलर हाईमास्ट लाइट, सोलर पावर प्लान्ट इत्यादि** का विकास कराया जाना है। इस योजना को लागू किये जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे और मझोले स्तर की स्थानीय नागर निकायें, जिनकी आबादी एक लाख से कम हैं, में इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो कि वहां पर निवासरत जनता के लिए न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार सभी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हो तथा वहा पर विकास इस प्रकार सुनियोजित ढंग से किया जाय कि इन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकें तथा इससे स्थायी प्रकृति की सम्पत्तियों का सृजन हो।
- इस योजना के अन्तर्गत नागर निकायो को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि का आवंटन किये जाने तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारित किये जाने के लिए मा0 नगर विकास मंत्री जी को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत को बराबर उत्तरदायी बनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से 03 वर्ष के अन्दर उसका रख–रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा, जिसका उल्लेख टेण्डर की शर्तो में किया जाना होगा।
- **''आदर्श नगर योजना''** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक प्रदेश की कुल 530 नागर निकायों में इण्टरलाकिंग सड़क, डामरीकृत सड़क, नाली निर्माण, दुकानों का निर्माण, शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण, विवाह घर का निर्माण, सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, पोखरों का सौन्दर्यीकरण कार्य, मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी लाईट, एलईडी हाईमास्ट लाइट, सोलर लाइट, सोलर हाईमास्ट लाइट, सोलर पावर प्लान्ट आदि के निर्माण के लिए धनराशि निर्गत कर सुविधाओं के विकास कार्य कराये गये।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत रूपये 3000.00 लाख का बजट प्राविधान है, जिसमें से प्रदेश की विभिन्न नागर निकायो को रूपये 514.15 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के बाद इस योजना में रूपये 2485.85 लाख की धनराशि अवशेष है।

(2) कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना :

- **'' कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना''** प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों के साथ साथ प्रदेश की अन्य जनपदों में कांजी हाउस/पशु शेल्टर होम की स्थापना किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना का मुख्य

उदेश्य यह है कि प्रदेश से हो रही अवैध पशु तस्करी एवं आवारा पशुओं को मार्ग दुर्घटनाओं से बचाने के लिए पशु शेल्टर होम्स/कांजी हाउस की स्थापना किया जाना है।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में " **कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना** "के अन्तर्गत रूपये 4000.00 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है, जिससे प्रदेश की नागर निकायों में कांजी हाउस/शेल्टर होम की स्थापना किये जाने हेतु रूपये 2059.00 लाख की धनराशि निर्गत कर कांजी हाउस/पशु शेल्टर होम्स की स्थापना का कार्य प्रारम्भ कराया गया है।
- नगर निगम लखनऊ द्वारा एक आदर्श कान्हा उपवन का निर्माण कराया गया है, जिसमें 3500 गोवंशीय पशुओं को रखा गया है।

(3) डा0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना :

- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों का सुनियोजित विकास एवं जनसामान्य को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा "**डा0 एपीजे अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना**" लागू की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में कम पारम्परिक ऊर्जा स्रोतो की कमी से जनसामान्य को हो रही समस्याओं को दूर करना है। इस योजना के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट के माध्यम से मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
- इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रूपये 5000.00 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित बजट व्यवस्था से प्रदेश की नागर निकायों में सोलर पावर प्लान्ट के माध्यम से विद्युत /पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु 4 नगर पालिका परिषद को रूपये 390.48 लाख की धनराशि एवं 4 नगर पंचायत को रूपये 383.67 लाख जारी कर इन नागर निकायों में सौर ऊर्जा पावर प्लान्ट के माध्यम से मार्ग प्रकाश/पेयजल की व्यवस्था की गयी है।

(4) नया सवेरा नगर विकास योजना (रिवाल्विंग फण्ड) :

- जनहित से जुड़ी तात्कालिक आवश्यकता की परियोजनाओं तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण करने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा निकायों की ब्याज रहित ऋण स्वीकृत करने हेतु वर्तमान में नया सवेरा नगर विकास योजना प्रचलित है। योजना का मूल उद्देश्य यह है कि निकायें अपनी मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करके अपनी आय में वृद्धि करें एवं स्वावलम्बी बनें। उक्त के अतिरिक्त जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु संबंधित निकायों का अंश भी निश्चित किया गया है परन्तु कतिपय निकायें आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण अपने अंश की धनराशि उपलब्ध करा पाने में अक्षम है। योजनान्तर्गत निकायें अपने अंश उपलब्ध करा सकें, यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है, अतः संबंधित निकायों के प्रस्ताव पर उनके अंश की धनराशि नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती है, जिससे कि जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का समयान्तर्गत क्रियान्वयन किया जा सके।
- निकायों को स्वीकृत उक्त ऋण की प्रतिपूर्ति निकायों को राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत दी जाने वाले धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में काटकर की जाती है।

  वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के लिए रुपए 250.00 करोड़ का बजट प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रुपए 218.46 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किया गया है।

अध्याय–2

1–उत्तर प्रदेश का नगरीय परिदृश्य :–

नगर निकाय श्रेणी	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग किमी0 में)	जनसंख्या
1	2	3	4
नगर निगम	14	2075.28	17634559
नगर पालिका परिषद	202	2392.97	15899876
नगर पंचायत	438	2678.91	7283100
योग	**654**	**7147.16**	**40817535**

2– कार्मिकों का विवरण

2.1– केन्द्रीयित कार्मिको का समूहवार विवरण (31–03–2017 की स्थिति) :–

नगर निकाय की श्रेणी	संख्या	केन्द्रीयित							
		क		ख		ग		योग	
		स्वीकृत	कार्यरत्	स्वीकृत	कार्यरत्	स्वीकृत	कार्यरत्	स्वीकृत	कार्यरत्
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
नगर निगम	14	194	116	250	127	105	690	1649	933
नगर पालिका परिषद	202	0	0	163	99	1059	634	1222	733
नगर पंचायत	438	0	0	0	0	414	203	414	203
(योग)	**654**	**194**	**116**	**413**	**226**	**1578**	**1527**	**3285**	**1869**

2.2— अकेन्द्रीयित कार्मिको का विवरण (31—03—2017 की स्थिति):—

निकाय की श्रेणी	निकाय की संख्या	अकेन्द्रीयित																	
		नियमित						दैनिक वेतन			संविदा			वर्कचाज			नियत वेतन		
		ग		घ		योग		ग	घ	योग	ग	घ	योग	ग	घ	योग	ग	घ	योग
		स्वीकृत	कार्यरत्	स्वीकृत	कार्यरत्	स्वीकृत	कार्यरत्												
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
नगर निगम	14	3446	2104	10136	7556	13582	9660	9	60	69	28	122	150	0	0	0	0	0	0
नगर पालिका परिषद	202	2419	1633	9742	7618	12161	9251	4	89	93	9	560	569	22	348	370	58	169	227
नगर पंचायत	438	677	559	2204	1816	2881	2375	10	46	55	12	48	60	1	12	13	2	8	8
(योग)	**654**	**6542**	**4296**	**22082**	**16990**	**28624**	**21286**	**23**	**195**	**217**	**49**	**730**	**779**	**23**	**360**	**383**	**60**	**177**	**235**

2.3— सफाई कर्मचारियों का विवरण (31—03—2017 की स्थिति) :—

निकाय की श्रेणी	निकाय की संख्या	सफाई कर्मचारी							
		नियमित		दैनिक वेतन	संविदा		वर्कचार्ज	नियत वेतन	योग
		स्वीकृत	कार्यरत्		शासन द्वारा स्वीकृत	वर्तमान में कार्यरत्			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
नगर निगम	14	28182	16491	43	14142	7473	0	0	24007
नगर पालिका परिषद	202	18912	13333	173	20247	12420	478	1499	27903
नगर पंचायत	438	4420	3502	68	13217	6584	3	19	10176
(योग)	**654**	**51514**	**33326**	**284**	**47606**	**26477**	**481**	**1518**	**62086**

2.4–निकाय के कुल कर्मचारियों (केन्द्रीयित तथा अकेन्द्रीयित) का विवरण (31–03–2017 की स्थिति) :–

निकाय की श्रेणी	निकाय की संख्या	कुल योग नियमित कर्मचारी		कुल योग दैनिक वेतन कर्मचारी	कुल योग संविदा कर्मचारी	कुल योग वर्कचार्ज कर्मचारी	कुल योग नियत वेतनमान कर्मचारी	कुल कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या
		स्वीकृत	कार्यरत्					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नगर निगम	14	43305	27019	112	7623	0	0	34754
नगर पालिका परिषद	202	32357	23365	268	12989	848	1726	39196
नगर पंचायत	438	7765	6115	124	6644	16	33	12932
(योग)	**654**	**83427**	**56499**	**504**	**27256**	**864**	**1759**	**86882**

3– नागर निकायो में अधिष्ठान पर ''व्यय का विवरण'' वर्ष 2016–17:–

(करोड़ रू0 में)

निकाय की श्रेणी	निकाय की संख्या	अधिष्ठान पर व्यय (करोड़ रू0 में)		योग
		सामान्य कर्मचारी	सफाई कर्मचारी	
1	2	3	4	5
नगर निगम	14	785.95	837.87	1623.82
नगर पालिका परिषद	202	487.68	813.92	1301.60
नगर पंचायत	438	127.06	292.48	419.54
कुल योग	654	**1400.69**	**1944.27**	**3344.96**

4–**राजस्व वसूली :–** नागर निकायों की विगत 03 वर्षो की वसूली का विवरण निम्न प्रकार है :–

(धनराशि करोड़ रू0 में)

नगर निकाय की श्रेणी	निकाय की संख्या	2014–2015	2015–2016	2016–2017
1	2	4	5	5
नगर निगम	14	1158.15	1366.85	1544.38
नगर पालिका परिषद	202	325.17	385.53	415.00
नगर पंचायत	438	106.40	125.98	114.76
योग	**654**	**1589.72**	**1878.36**	**2074.14**

5—शासकीय आयः— उ0प्र0 की नागर निकायों की शासकीय आय का वर्ष 2016—17ः—

(धनराशि करोड़ रू0 में)

निकाय की श्रेणी	निकाय की संख्या	शासकीय आय		करोड़ रू0 (0.00)		
		राजस्व आयोग की संस्तुतियों		रिवाल्विंग फण्ड से ऋण	अन्य	योग (3+4+5+6)
		राज्यवित्त आयोग से प्राप्त	14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से			
1	2	3	4	5	6	7
नगर निगम	14	1958.83	425.43	44.71	641.49	**3070.46**
नगर पालिका परिषदे	202	2376.28	503.52	90.72	384.40	**3354.92**
नगर पंचायतें	438	1197.12	248.14	84.44	369.28	**1898.98**
कुल योग	**654**	**5532.23**	**1177.09**	**219.87**	**1395.17**	**8324.36**

6— नागरिक सुविधाओं पर व्यय :— वर्ष 2016—17

करोड़ रू0 (0.00)

जनपद	निकाय का नाम	पथ प्रकाश		सड़क निर्माण/मरम्मत		भवन/नाला/ नाली		सफाई उपकरण/सफाई व्यवस्था		जल सम्पूर्त्ति पर व्यय	सीवर व्यवस्था		विज्ञापन पर व्यय	अन्य विभिन्न मदो पर व्यय	कुल व्यय
		नव निर्माण पर व्यय	अनुरक्षण पर व्यय	नव निर्माण पर व्यय	अनुरक्षण पर व्यय	नव निर्माण पर व्यय	अनुरक्षण पर व्यय	नव निर्माण पर व्यय	अनुरक्षण पर व्यय		नव निर्माण पर व्यय	अनुरक्षण पर व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
नगर निगम	14	47.88	40.01	339.63	680.27	53.49	43.81	98.52	141.88	141.19	16.16	17.23	6.54	865.48	**2492.09**
नगर पालिका परिषदे	202	148.72	46.70	849.83	290.30	242.31	63.90	73.54	65.24	142.77	6.53	2.28	16.70	364.61	**2313.43**
नगर पंचायतें	438	183.59	26.94	517.17	176.51	162.75	33.36	47.02	20.94	66.63	0.11	0.00	17.60	190.20	**1442.82**
(योग)	**654**	**380.19**	**113.65**	**1706.63**	**1147.08**	**458.55**	**141.07**	**219.08**	**228.06**	**350.59**	**22.80**	**19.51**	**40.84**	**1420.29**	**6248.34**

7–नागर निकायों में कम्प्यूटराईजेशन

निकाय की श्रेणी	निकाय की संख्या	निकायों की संख्या जहा कम्प्यूटर उपलब्ध है।	कम्प्यूटरों की संख्या	निकायो की संख्या जहॉ पर कम्प्यूटर द्वारा कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं					
				वेबसाइट उपलब्ध है	जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है	सम्पत्ति कर	पब्लिक ग्रेवेन्स रिड्रसल सिस्टम	पे–रोल स्थापना	एकाउन्ट/बजट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नगर निगम	14	14	1097	14	14	14	14	14	14
नगर पालिका परिषद	202	202	1009	143	194	76	54	60	92
नगर पंचायत	438	438	727	180	383	82	49	42	122
कुल योग	**654**	**654**	**2833**	**337**	**591**	**172**	**117**	**116**	**228**

8–नागर निकायों में तालाब/पोखरों/झीलों तथा हैण्ड पम्पों/ट्यूबवेलो की संख्या :–

निकायो की श्रेणी	निकायों की संख्या	तालाब/पोखरो/झीलें		कुल हैण्ड पम्पों की संख्या	चालू हैण्ड पम्पों की संख्या	कुल ट्यूबवेलों की संख्या	चालू ट्यूबवेलो की संख्या
		संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर 0.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर निगम	14	2447	1233.666	69256	59010	3229	2648
नगर पालिका परिषद	202	2173	2240.000	100362	92625	2724	2564
नगर पंचायत	438	3196	2272.167	74870	70710	1332	1189
कुल योग	**654**	**7816**	**5745.833**	**244488**	**222345**	**7285**	**6401**

9– नागर निकायों में कूड़ा निस्तारण/वृक्षारोपण

निकाय की श्रेणी	निकायों की संख्या	कूड़ा निस्तारण		वृक्षारोपण		
		कूड़े की उपलब्धता लाख मीटरी टन (0.00)	कूड़े का निस्तारण लाख मीटरी टन(0.00)	वृक्षारोपणों की संख्या हजार में (0.000)	रोपित वृक्षों की संख्या हजार में (0.000)	जीवित वृक्षों की संख्या हजार में (0.000)
नगर निगम	14	33.87	32.84	107.111	107.058	86.937
नगर पालिका परिषद	202	11.57	11.37	103.982	146.912	64.363
नगर पंचायत	438	5.89	5.88	102.336	79.161	49.776
कुल योग	**654**	**51.33**	**50.09**	**313.429**	**333.131**	**201.076**

10—नागर निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों/चिकित्सालयों की संख्या :—

निकाय की श्रेणी	निकायों की संख्या	विद्यालय							चिकित्सालय					
		प्राइमरी तक	जूनियर हाईस्कूल तक	हाइस्कूल तक	इन्टर तक	डिग्री कालेज तक	अन्य	योग	एलोपैथिक	होम्योपैथिक	आर्युवैदिक	यूनानी	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
नगर निगम	14	4	0	6	22	3	2	37	22	18	16	5	0	61
नगर पालिका परिषद	202	5	1	8	32	2	0	48	5	1	1	0	2	9
नगर पंचायत	438	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
कुल योग	**654**	**9**	**1**	**15**	**55**	**5**	**2**	**87**	**27**	**19**	**17**	**5**	**2**	**70**

11— नागर निकायों में उपलब्ध वधशालायें/सामुदायिक शौचालयों तथा पर्को का विवरण :—

निकाय की श्रेणी	निकायों की संख्या	पशु वधशालायें			सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय		निकाय द्वारा संचालित/अनुरक्षित पार्को की संख्या
		आधुनिक पशु वधशालाओं की संख्या	अन्य पशु वधशालाओं की संख्या	योग (3+4)	शौचालयों की संख्या	मूत्रालयों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर निगम	14	4	10	13	1547	1656	5346
नगर पालिका परिषद	202	7	60	71	1309	1402	1035
नगर पंचायत	438	5	37	42	889	1179	192
कुल योग	**654**	**16**	**107**	**126**	**3745**	**4237**	**6573**

12—**सड़क लम्बाई :—** नागर निकायों में विगत 05 वर्षो में पक्की/अर्द्धपक्की/कच्ची सड़क लम्बाई का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पक्की सड़क (किमी0 0.00 में)

निकाय	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.032016	31.032017
1	2	3	4	5	6
समस्त नागर निकाय	37556.809	38837.932	42636.523	45217.410	47695.355

अर्द्धपक्की सड़क (किमी0 0.00 में)

निकाय	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.032016	31.032017
1	2	3	4	5	6
समस्त नागर निकाय	11257.441	10944.324	10197.204	9672.282	9879.840

कच्ची सड़क (किमी0 0.00 में)

निकाय	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017
1	2	3	4	5	6
समस्त नागर निकाय	6196.295	5996.042	5457.412	5067.908	5228.772

अध्याय–3

नगर निगम

1– प्रदेश में वर्तमान में कुल 14 नगर निगम हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 2075.28 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 176.35 लाख है। नगर निगमो में (दिनांक 31–03–17) स्वीकृत केन्द्रीयित कर्मचारियों की संख्या 1649 पायी गयी जिसके सापेक्ष 933 कार्यरत है। समूह 'क' के 194, समूह 'ख' के 250, समूह 'ग' के 1205 पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष क्रमशः 116, 127, 690 कर्मचारी कार्यरत है। अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत सामान्य कर्मचारियों के नियमित स्वीकृत पदो की संख्या–13582 है (समूह ''ग'' के 3446 तथा समूह ''घ'' 10136) जिसके सापेक्ष–9660 (समूह ''ग'' के 2104 तथा समूह ''घ'' 7556) कर्मचारी कार्यरत है, दैनिक वेतन –69, संविदा पर 150 कर्मचारी कार्यरत है। नगर निगमों में नियमित सफाई कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या–28182 है जिसके सापेक्ष 16491 कर्मचारी कार्यरत है, संविदा सफाई कर्मचारियों में शासन द्वारा स्वीकृत पदो की संख्या 14142 है जिसके सापेक्ष 7473 कर्मचारी कार्यरत हैं, दैनिक वेतन –43 कर्मचारी है। नगर निगमों में केन्द्रीयित, अकेन्द्रीयित एवं सफाई कर्मचारियों की कुल स्वीकृत पदो की संख्या–43305 के सापेक्ष 27019 कर्मचारी कार्यरत हैं, कुल दैनिक वेतन कर्मचारियों की संख्या–112 कुल संविदा कर्मचारियों की संख्या–7623 पायी गयी है। इस प्रकार कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दिनांक 31–03–2017 को 34754 पायी गयी हैं।

क्षेत्रफल, जनंसख्या एवं कार्यरत् कर्मचारियों का विवरण **तालिका संख्या–3.1** पर दर्शाया गया हैं।

2– प्रदेश में समस्त नगर निगमों द्वारा वर्ष 2016–17 में राजस्व वसूली (कर) से गृहकर से रूपया 51185.29 लाख, जलकर से रू0 20319.40 लाख, विज्ञापन कर से रू0 2755.06 लाख, प्रेक्षागृह कर से रू0 71.88 लाख, 2 प्रतिशत अचल सम्पत्तियों के हस्तानान्तरण से रू0 24676.76 लाख, पशुकर से रू0 5.16 लाख, वहन कर से रू0 73.32 लाख तथा अन्य प्रकार के करों से रू0 5692.16 लाख। इस प्रकार राजस्व कर से कुल वसूली रू0 104779.03 लाख पायी गयी। जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–3.2** पर दर्शाया गया हैं।

3– प्रदेश में समस्त नगर निगमों द्वारा वर्ष 2016–17 में राजस्व वसूली (करेत्तर) से जलमूल्य से रू0 2551.85 लाख, भूमि/भवन आदि की बिक्री से रू0 1631.10 लाख, तहबाजारी से रू0 121.72 लाख, वधशाला से रू0 776.94 लाख, 39 मदो पर लाईसेसिंग शुल्क से 545.52 लाख, अन्य प्रकार से रू0 44031.99 लाख। इस प्रकार राजस्व वसूल (करेत्तर मद) से कुल रू0 49659.12 लाख पायी गयी। जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–3.3** पर दर्शाया गया हैं।

4– प्रदेश में समस्त नगर निगमों को वर्ष 2016–17 में शासकीय तथा अन्य मदो से राज्य वित्त आयोग से रू0 195882.54 लाख, 13/14वें वित्त आयोग से रू0 52543.45 लाख, रिवाल्विंग फण्ड से रू0 4471.38 लाख तथा अन्य मद से रू0 64148.77 लाख उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार शासकीय मद से कुल धनराशि रूपया 317046.14 लाख उपलब्ध करायी गयी। जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–3.4** दर्शाया गया हैं।

5– <u>नागरिक सुविधाओं पर व्यय :–</u> प्रदेश में समस्त नगर निगमों द्वारा वर्ष 2016–17 में पथ प्रकाश नव निर्माण/अनुरक्षण पर रू0 4787.76 लाख, रू0 4001.34 लाख क्रमशः सड़क नवनिर्माण/मरम्मत पर रू0 33963.06 लाख, रू0 68027.21 लाख क्रमशः भवन/नाला/नाली नवनिर्माण एवं मरम्मत पर रू0 5348.91 लाख, रू0 4381.40 लाख क्रमशः सफाई उपकरण/सफाई व्यवस्था नवनिर्माण/मरम्मत रू0 9851.74 लाख, रू0 14187.65 लाख क्रमशः जल सम्पूर्ति पर रू0 14119.44 लाख, सीवर नवनिर्माण/अनुरक्षण पर रू0 1616.40 लाख, 1722.64 लाख क्रमशः विज्ञापन पर रू0 654.42 लाख तथा अन्य विभिन्न मदो पर रू0 86547.72 लाख व्यय किया गया हैं। अधिष्ठान पर कार्यरत् सामान्य कर्मचारियों पर रू0 78595.36 लाख तथा सफाई कर्मचारियों पर रू0 83787.00 लाख व्यय किया गया है। इस प्रकार नगर निगमों द्वारा नागरिक सुविधाओं पर कुल रू0 249209.69 लाख तथा अधिष्ठान पर कुल रू0

162382.36 लाख इस प्रकार विकास/नागरिक सुविधाओं तथा अधिष्ठान पर कुल रू0 411592.05 लाख व्यय किया गया है। जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–3.5** पर दर्शाया गया हैं।

6– प्रदेश की समस्त 14 नगर निगमों के वर्ष 2016–17 में राजस्व वसूली कर से रू0 104779.03 लाख, करेत्तर से रू0 49659.12 लाख, शासकीय आय रू0 317046.14 लाख, इस प्रकार कुल आय रू0 471484.29 लाख प्राप्त हुयी। विकास/नागरिक सुविधाओं पर किया गया व्यय रू0 249209.69 लाख तथा अधिष्ठान पर किया गया व्यय रू0 162382.36 लाख, इस प्रकार कुल व्यय रू0 411592.05 लाख किया गया हैं। जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–3.6** पर दर्शाया गया हैं।

प्रदेश की समस्त नगर निगमो के विगत 03 वर्षो के आय–व्यय का विवरण इस प्रकार हैं :–

वर्ष	कुल आय (करोड़ रू0 (0.00)	कुल व्यय (करोड़ रू0 (0.00))
2014–15	4682.26	3205.52
2015–16	4251.82	3684.30
2016–17	4714.84	4115.92

7– प्रदेश की समस्त 14 नगर निगमों में कम्प्यूटरों की कुल संख्या–1097 है। सभी नगर निगमों की वेबसाइट क्रियान्वित। समस्त नगर निगमों द्वारा जन्म–मृत्यु पंजीकरण क्रियान्वित तथा सम्पत्ति कर कम्प्यूटर 14 निगमों द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। पब्लिक ग्रीवान्स रिड्रसल सिस्टम का कार्य 14 निगमों द्वारा पे–रोल/स्थापना का कार्य 14 नगर निगमों द्वारा तथा एकाउन्ट एवं बजट का कार्य 14 निगमों द्वारा ही किया जा रहा है। निकाय वार विवरण **तालिका संख्या 3.7** पर दर्शाया गया।

8– प्रदेश के 14 नगर निगमो में तालाबों/पोखरों/झीलों की संख्या लगभग 2447 हैं जिनका क्षेत्रफल 1233.666 हेक्टेयर हैं। नगर निगमों में कुल हैण्डपम्पों की लगभग संख्या 69256 जिसमें 59010 हैण्डपम्प चालित है बाकी हैण्डपम्प खराब अथवा रिबोर के है। इसी प्रकार नगर निगमों में कुल ट्यूबवेलो की संख्या 3229 है जिसमे 2648 ट्यूबवेल चालित है। निकायवार विवरण **तालिका संख्या 3.8** पर दर्शाया गया हैं।

9– प्रदेश के 14 नगर निगमो द्वारा वर्ष 2016–17 में कुल कूड़े की उपलब्धता 33.87 लाख मीट्रिक टन सूचित की गयी हैं जिसमें 32.84 लाख मीट्रिक टन निस्तारित दिखाया गया है। इसी प्रकार निकायों द्वारा वृक्षारोपण का लक्ष्य 107.111 हजार सूचित किया है। निकायों द्वारा कुल रोपित वृक्षों की संख्या 107.058 हजार जिसमें जीवित वृक्षो की संख्या 86.937 हजार हैं निकायवार विवरण **तालिका संख्या 3.9** पर दर्शाया गया हैं।

10– प्रदेश के 14 नगर निगमो द्वारा वर्ष 2016–17 में प्राइमरी स्तर तक 4, जूनियर हाईस्कूल तक 0, हाईस्कूल तक 6, इण्टर तक 22, डिग्री कालेज तक 3 तथा अन्य स्कूलों की संख्या 2, इस प्रकार कुल स्कूलों/विद्यालयों की संख्या 37 है। इसी प्रकार ऐलौपैथिक चिकित्सालय 22, होम्योपैथिक 18, आर्युवैदिक 16, यूनानी 05 तथा अन्य 0 कुल 61 चिकित्सालय नगर निगमों द्वारा संचालित किये जा रहे है। निकाय वार विवरण **तालिका संख्या 3.10** पर दर्शाया गया है।

11– प्रदेश के 14 नगर निगमो द्वारा वर्ष 2016–17 में आधुनिक पशुवधशालाओं की संख्या–04, अन्य पशुवधशालाओं की संख्या–10 (कुल 13) संचालित हैं। सामुदायिक शौचालयों की संख्या–1547, मूत्रालयों की संख्या–1656 तथा निकाय द्वारा संचालित/अनुरक्षित पार्को की संख्या–5346 पायी गयी। निकाय वार विवरण **तालिका संख्या 3.11** पर दर्शाया गया है।

अध्याय–4

नगर पालिका परिषदें

1– प्रदेश में कुल 202 नगर पालिका परिषद हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 2392.97 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 159.00 लाख हैं। नगर पालिका परिषदों में (दिनांक 31–03–17) स्वीकृत केन्द्रीयित कर्मचारियों की संख्या 1222 पायी गयी जिसके सापेक्ष 733 कार्यरत हैं। समूह 'ख' के 163, समूह 'ग' के 1059 पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष क्रमशः 99, 634 कार्यरत है। अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत सामान्य कर्मचारियों के नियमित स्वीकृत पदो की संख्या–12161 है (समूह ''ग'' के 2419 तथा समूह ''घ'' 9742) जिसके सापेक्ष–9251 (समूह ''ग'' के 1633 तथा समूह ''घ'' 7618) कर्मचारी कार्यरत हैं, दैनिक वेतन–93, संविदा पर 569, वर्कचार्ज पर 370 तथा नियत वेतन में 227 कर्मचारी कार्यरत हैं। नगर पालिका परिषदों में नियमित सफाई कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या–18912 हैं जिसके सापेक्ष 13333 कर्मचारी कार्यरत है, संविदा सफाई कर्मचारियों में शासन द्वारा स्वीकृत पदो की संख्या 20247 हैं जिसके सापेक्ष 12420 कर्मचारी कार्यरत है, दैनिक वेतन–173, वर्कचार्ज–478 तथा नियत वेतन–1499 कर्मचारी हैं। नगर पालिका परिषदों में केन्द्रीयित, अकेन्द्रीयित एवं सफाई कर्मचारियों की कुल स्वीकृत पदो की संख्या–32357 के सापेक्ष 23365 कर्मचारी कार्यरत है, कुल दैनिक वेतन कर्मचारियों की संख्या–268 कुल संविदा कर्मचारियों की संख्या–12989, वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या–848 तथा कुल नियत वेतन कर्मचारियों की संख्या–1726 पायी गयी है। इस प्रकार कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दिनांक 31–03–2017 को 39196 पायी गयी हैं। क्षेत्रफल, जनंसख्या, कार्यरत् कर्मचारियों का विवरण **तालिका संख्या–4.1** पर दर्शाया गया है।

2– प्रदेश में समस्त नगर पालिका परिषदों द्वारा वर्ष 2016–17 में राजस्व वसूली (कर) से गृहकर से रू0 4548.43 लाख, जलकर से रू0 3966.79 लाख, विज्ञापन कर से रू0 183.05 लाख, प्रेक्षागृह कर से रू0 20.77 लाख, 2 प्रतिशत अचल सम्पत्तियों के हस्तानान्तरण से रू0 12488.67 लाख, पशुकर से रू0 19.95 लाख, वहन कर से रू0 271.67 लाख, तथा अन्य प्रकार के करो से रू0 1222.51 लाख। इस प्रकार राजस्व कर से कुल वसूली रू0 22721.84 लाख पायी गयी जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–4.2** पर दर्शाया गया है।

3– प्रदेश में समस्त नगर पालिका परिषदों द्वारा वर्ष 2016–17 में राजस्व वसूली (करेत्तर) से जलमूल्य से रू0 1586.05 लाख, भूमि/भवन आदि की बिक्री से रू0 2485.31 लाख, तहबाजारी से रू0 452.16 लाख, वधशाला से रू0 43.80 लाख, 39 मदो पर लाईसेसिंग शुल्क से 590.59 लाख, अन्य प्रकार से रू0 13612.35 लाख। इस प्रकार राजस्व वसूली (करेत्तर मद) से कुल रू0 18770.26 लाख पायी गयी जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–4.3** पर दर्शाया गया है।

4– प्रदेश में समस्त नगर पालिका परिषदों द्वारा वर्ष 2016–17 में शासकीय तथा अन्य मदों से राज्य वित्त आयोग से रू0 237628.64 लाख, 13/14वें वित्त आयोग से रू0 52352.14 लाख, रिवाल्विंग फण्ड से रू0 9071.89 लाख, तथा अन्य मद से रू0 38440.26 लाख उपलब्ध करायी गयी हैं। इस प्रकार शासकीय मद से कुल धनराशि रूपया 335492.93 लाख उपलब्ध करायी गयी जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–4.4** दर्शाया गया है।

5– <u>नागरिक सुविधाओं पर व्यय :–</u> प्रदेश में समस्त नगर पालिका परिषदो द्वारा वर्ष 2016–17 में पथ प्रकाश नवनिर्माण/अनुरक्षण पर रू0 14872.17 लाख, 4670.28 रू0 लाख क्रमशः, सड़क नवनिर्माण/मरम्मत पर रू0 84982.53 लाख, रू0 29030.31 लाख क्रमशः, भवन/नाला/नाली नवनिर्माण एवं मरम्मत पर रू0 24231.17 लाख, रू0 6389.94 लाख क्रमशः, सफाई उपकरण/सफाई व्यवस्था नवनिर्माण/मरम्मत रू0 7354.23 लाख, रू0 6523.68 लाख क्रमशः, जल सम्पूर्ति पर रू0 14276.69 लाख, सीवर नवनिर्माण/अनुरक्षण पर रू0 653.63 लाख, 227.57 लाख क्रमशः विज्ञापन पर रू0 1670.30 लाख

तथा अन्य विभिन्न मदों पर रू0 36460.91 लाख व्यय किया गया हैं। अधिष्ठान पर कार्यरत् सामान्य कर्मचारियों पर रू0 48767.94 लाख तथा सफाई कर्मचारियों पर रू0 81392.29 लाख व्यय किया गया है। इस प्रकार नगर पालिका परिषदों द्वारा नागरिक सुविधाओ पर कुल रू0 231343.40 लाख तथा अधिष्ठान पर कुल रू0 130160.23 लाख इस प्रकार विकास/नागरिक सुविधाओं तथा अधिष्ठान पर कुल रू0 361503.63 लाख व्यय किया गया हैं। जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–4.5** पर दर्शाया गया है।

6– प्रदेश की समस्त 202 नगर पालिका परिषदों में वर्ष 2016–17 में राजस्व वसूली कर से रू0 22721.84 लाख, करेत्तर से रू0 18770.26 लाख, शासकीय आय रू0 335492.93 लाख, इस प्रकार कुल आय रू0 376985.03 लाख प्राप्त हुयी। विकास/नागरिक सुविधाओं पर किया गया व्यय रू0 231343.40 लाख तथा अधिष्ठान पर किया गया व्यय रू0 130160.23 लाख, इस प्रकार कुल व्यय रू0 361503ण्63 लाख किया गया है। जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–4.6** पर दर्शाया गया है।

प्रदेश की समस्त नगर पालिका परिषदो के विगत 03 वर्षो का आय–व्यय का विवरण निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	कुल आय करोड़ रू0 (0.00)	कुल व्यय करोड़ रू0 (0.00)
2014–15	3355.38	2884.11
2015–16	3523.98	3711.35
2016–17	3770.00	3615.03

7– प्रदेश की समस्त 202 नगर पालिका परिषदों में कम्प्यूटर उपलब्ध है। इस प्रकार 202 नगर पालिका परिषदों में कम्प्यूटर की संख्या–1009 है। 143 नगर पालिका परिषदों द्वारा वेबसाइट तैयार करा ली गयी है। 194 नगर पालिका परिषदों में जन्म–मृत्यु पंजीकरण, 76 में सम्पत्ति कर, पब्लिक ग्रवेन्स रिड्रसल सिस्टम का कार्य 54 नगर पालिका परिषदो द्वारा, पे–रोल स्थापना का कार्य 60 नगर पालिका परिषदो तथा एकाउन्ट एवं बजट का कार्य मात्र 92 नगर पालिका परिषदों में कम्प्यूटर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। निकायवार विवरण **तालिका संख्या 4.7** पर दर्शाया गया।

8– प्रदेश के 202 नगर पालिका परिषदों में तालाबो/पोखरो/झीलों की संख्या 2173 जिनका क्षेत्रफल 2240.000 हेक्टेयर हैं। नगर पालिका परिषदों में कुल हैण्डपम्पों की संख्या 100362 जिसमें 92625 हैण्डपम्प चालित है बाकी हैण्डपम्प खराब अथवा रिबोर के हैं। इसी प्रकार नगर पालिका परिषदो में कुल ट्यूबवेलो की संख्या 2724 है जिसमे 2564 ट्यूबवेल चालित है। निकायवार विवरण **तालिका संख्या 4.8** पर दर्शाया गया हैं।

9– प्रदेश के 202 नगर पालिका परिषदो द्वारा वर्ष 2016–17 में कुल कूड़े की उपलब्धता 11.57 लाख मीट्रिक टन सूचित की गयी हैं जिसमें 11.37 लाख मीट्रिक टन निस्तारित दिखाया गया है। इसी प्रकार निकायों द्वारा वृक्षारोपण का लक्ष्य 103.982 हजार सूचित किया है। निकायों द्वारा कुल रोपित वृक्षों की संख्या 146.912 हजार जिसमें जीवित वृक्षों की संख्या 64.363 हजार हैं निकायवार विवरण **तालिका संख्या 4.9** पर दर्शाया गया हैं।

10– प्रदेश के 202 नगर पालिका परिषदो द्वारा वर्ष 2016–17 में प्राइमरी स्तर तक 05, जूनियर हाईस्कूल तक 01, हाईस्कूल तक 08, इण्टर तक 32, डिग्री कालेज तक 02 तथा अन्य स्कूलो की संख्या 0, इस प्रकार कुल स्कूलो/विद्यालयों की संख्या **48** है। इसी प्रकार ऐलोपैथिक चिकित्सालय–05, होम्योपैथिक–01, आर्युवैदिक–01, यूनानी–0, तथा अन्य–02 कुल–9 चिकित्सालय नगर पालिका परिषदों द्वारा संचालित किये जा रहे है। निकायवार विवरण **तालिका संख्या 4.10** पर दर्शाया गया है।

11– प्रदेश के 202 नगर पालिका परिषदो द्वारा वर्ष 2016–17 में आधुनिक पशुवधशालाओं की संख्या–07, अन्य पशुवधशालाओं की संख्या–60 (कुल 71) संचालित हैं। सामुदायिक शौचालयों की संख्या–1309, मुत्रालयों की संख्या–1402 तथा निकाय द्वारा संचालित/अनुरक्षित पार्को की संख्या–1035 पायी गयी। निकाय वार विवरण **तालिका संख्या 4.11** पर दर्शाया गया है।

अध्याय–5

नगर पंचायतें

1– प्रदेश में कुल 438 नगर पंचायतें हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 2678.91 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 72.83 लाख है। नगर पंचायतों में (दिनांक 31–03–17) स्वीकृत केन्द्रीयित कर्मचारी समूह 'ग' की संख्या 414 पायी गयी जिसके सापेक्ष 203 कार्यरत हैं। अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत सामान्य कर्मचारियों के नियमित स्वीकृत पदो की संख्या–2881 है (समूह ''ग'' के 677 तथा समूह ''घ'' 2204) जिसके सापेक्ष–2374 (समूह ''ग'' के 559 तथा समूह ''घ'' 1816 कर्मचारी कार्यरत है, दैनिक वेतन –55, संविदा पर 60, वर्कचार्ज पर 13 तथा नियत वेतनमान में 8 कर्मचारी कार्यरत है। नगर पंचायतों में नियमित सफाई कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या–4420 है जिसके सापेक्ष 3502 कर्मचारी कार्यरत है, संविदा सफाई कर्मचारियों में शासन द्वारा स्वीकृत पदो की संख्या 13217 है जिसके सापेक्ष 6584 कर्मचारी कार्यरत है, दैनिक वेतन–68, वर्कचार्ज–3 तथा नियत वेतनमान–19 कर्मचारी है। नगर पंचायतों में केन्द्रीयित, अकेन्द्रीयित एवं सफाई कर्मचारियों की कुल स्वीकृत पदो की संख्या–7765 के सापेक्ष 6115 कर्मचारी कार्यरत हैं, कुल दैनिक वेतन कर्मचारियों की संख्या–124 कुल संविदा कर्मचारियों की संख्या–6644, वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या–16 तथा कुल नियत वेतनमान कर्मचारियों की संख्या–33 पायी गयी हैं। इस प्रकार कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दिनांक 31–03–2017 को 12932 पायी गयी हैं। क्षेत्रफल, जनंसख्या, कार्यरत् कर्मचारियों का विवरण **तालिका संख्या–5.1** पर दर्शाया गया है।

2– प्रदेश में समस्त नगर पंचायतों द्वारा वर्ष 2016–17 में राजस्व वसूली (कर) से गृहकर से रू0 986.19 लाख, जलकर से रू0 70.22 लाख, विज्ञापन कर से रू0 8.95 लाख, प्रेक्षागृह कर से रू0 0.90 लाख, 2 प्रतिशत अचल सम्पत्तियों के हस्तानान्तरण से रू0 2994.28 लाख, पशुकर से रू0 2.38 लाख, वाहन कर से रू0 215.00 लाख तथा अन्य प्रकार के करो से रू0 520.63 लाख। इस प्रकार राजस्व कर से कुल वसूली रू0 4798.54 लाख पायी गयी जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–5.2** पर दर्शाया गया है।

3– प्रदेश में समस्त नगर पंचायतो द्वारा वर्ष 2016–17 में राजस्व वसूली (करेत्तर) से जलमूल्य से रू0 923.48लाख, भूमि/भवन आदि की बिक्री से रू0 474.67 लाख, तहबाजारी से रू0 504.80 लाख, वधशाला से रू0 23.53 लाख, 39 मदों पर लाईसेसिंग शुल्क से रू0 127.38 लाख अन्य प्रकार से रू0 4624.89 लाख। इस प्रकार राजस्व वसूल (करेत्तर मद) से कुल रू0 6677.77 लाख पायी गयी। जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–5.3** पर दर्शाया गया है।

4– प्रदेश में समस्त नगर पंचायतो द्वारा वर्ष 2016–17 में शासकीय तथा अन्य मदो से राज्य वित्त आयोग से रू0 119711.77 लाख, 13/14वें वित्त आयोग से रू0 24814.23 लाख, रिवाल्विंग फण्ड से रू0 8443.97 लाख तथा अन्य मद से रू0 36663.14 लाख उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार शासकीय मद से कुल धनराशि रूपया 189898.02 लाख उपलब्ध करायी गयी जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–5.4** दर्शाया गया है।

5– <u>नागरिक सुविधाओं पर व्यय :–</u>प्रदेश में समस्त नगर पंचायतों द्वारा वर्ष 2016–17 में पथ प्रकाश नव निर्माण/अनुरक्षण पर रू0 18359.27 लाख, रू0 2693.96 लाख क्रमशः सड़क नवनिर्माण/ मरम्मत पर रू0 51717.20 लाख, रू0 17650.92 लाख क्रमशः, भवन/नाला/नाली नवनिर्माण एवं मरम्मत पर रू0 16274.89 लाख, रू0 3335.82 लाख क्रमशः सफाई उपकरण/सफाई व्यवस्था नवनिर्माण/मरम्मत रू0 4701.53 लाख, रू0 2094.29 लाख क्रमशः जल सम्पूर्ति पर रू0 6662.57 लाख, सीवर नवनिर्माण/अनुरक्षण पर रू0 10.62 लाख, 0.00 लाख क्रमशः विज्ञापन पर रू0 1760.25 लाख तथा अन्य विभिन्न मदों पर रू0 19020.33 लाख व्यय किया गया है। अधिष्ठान पर कार्यरत् सामान्य कर्मचारियों पर रू0 12705.73 लाख तथा सफाई कर्मचारियों पर रू0 29248.34 लाख व्यय किया गया है। इस प्रकार नगर पंचायतों द्वारा नागरिक सुविधाओ पर कुल रू0 144281.65 लाख तथा अधिष्ठान पर कुल

रू0 41954.07 लाख इस प्रकार विकास/नागरिक सुविधाओं तथा अधिष्ठान पर कुल रू0 186235.71 लाख व्यय किया गया हैं। जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–5.5** पर दर्शाया गया है।

6– प्रदेश की समस्त 438 नगर पंचायतों में वर्ष 2016–17 में राजस्व वसूली कर से रू0 4798.54 लाख, करेत्तर से रू0 6677.77 लाख, शासकीय आय रू0 189898.02 लाख, इस प्रकार कुल आय रू0 201374. 33 लाख प्राप्त हुयी।विकास/नागरिक सुविधाओं पर किया गया व्यय रू0 144281.65 लाख तथा अधिष्ठान पर किया गया व्यय रू0 41954.07 लाख, इस प्रकार कुल व्यय रू0 186235.71 लाख किया गया है। जिसका निकायवार विवरण **तालिका संख्या–5.6** पर दर्शाया गया है।
प्रदेश की समस्त नगर पंचायतों के विगत 03 वर्षो का आय–व्यय का विवरण निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	कुल आय करोड़ रू0 (0.00)	कुल व्यय करोड़ रू0 (0.00)
2014–15	2053.45	1770.07
2015–16	1992.60	2115.38
2016–17	2013.74	1862.35

7– प्रदेश की समस्त 438 नगर पंचायतों में से 727 नगर पंचायतों में कम्प्यूटर उपलब्ध है।180 नगर पंचायतों द्वारा वेबसाइट तैयार करा ली गयी है। 383 नगर पंचायतों में जन्म–मृत्यु पंजीकरण, 82 में सम्पत्ति कर, पब्लिक ग्रीवान्स रिड्रसल सिस्टम का कार्य 49 नगर पंचायतों द्वारा, पे–रोल स्थापना का कार्य 42 नगर पंचायतों में तथा एकाउन्ट एवं बजट का कार्य 122 नगर पंचायतों में कम्प्यूटर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। निकायवार विवरण **तालिका संख्या 5.7** पर दर्शाया गया ।

8– प्रदेश की समस्त 438 नगर पंचायतों में तालाबों/पोखरों/झीलो की संख्या 3196 जिनका क्षेत्रफल 2272.167 हेक्टेयर हैं। नगर पंचायतों में कुल हैण्डपम्पों की संख्या 74870 जिसमें 70710 हैण्डपम्प चालित है बाकी हैण्डपम्प खराब अथवा रिबोर के है। इसी प्रकार नगर पंचायतो में कुल ट्यूबवेलो की संख्या 1332 है जिसमे 1189 ट्यूबवेल चालित है। निकाय वार विवरण **तालिका संख्या 5.8** पर दर्शाया गया हैं।

9– प्रदेश की समस्त 438 नगर पंचायतों द्वारा वर्ष 2016–17 में कुल कूड़े की उपलब्धता 5.89 लाख मीट्रिक टन सूचित की गयी हैं जिसमें 5.88 लाख मीट्रिक टन निस्तारित दिखाया गया है। इसी प्रकार निकायों द्वारा वृक्षारोपण का लक्ष्य 102.336 हजार सूचित किया है। निकायों द्वारा कुल रोपित वृक्षों की संख्य 79.161 हजार जिसमें जीवित वृक्षो की संख्या 49.776 हजार हैं निकायवार विवरण **तालिका संख्या 5.9** पर दर्शाया गया हैं।

10– प्रदेश की समस्त 438 नगर पंचायतों में से जनपद मैनपुरी में नगर पंचायत बेवर द्वारा हाईस्कूल स्तर तक 01 विद्यालय तथा नगर पंचायत, भोगॉव द्वारा इण्टर तक 01 विद्यालय संचालित किये जा रहे है। निकाय वार विवरण **तालिका संख्या 5.10** पर दर्शाया गया है।

11– प्रदेश की समस्त 438 नगर पंचायतों द्वारा वर्ष 2016–17 में आधुनिक पशुवधशालाओं की संख्या–05, अन्य पशुवधशालाओं की संख्या–37 (कुल 42) संचालित है। सामुदायिक शौचालयों की संख्या–889, मूत्रालयों की संख्या–1179 तथा निकाय द्वारा संचालित/अनुरक्षित पार्को की संख्या–192 पायी गयी। निकायवार विवरण **तालिका संख्या 5.11** पर दर्शाया गया है।

अध्याय–6

सड़क लम्बाई/व्यय (वर्ष 2016–17)

पक्की सड़कः– उत्तर प्रदेश में अवस्थित समस्त 654 नागर निकायों में नगरीय सीमा के अन्तर्गत निकायों द्वारा वर्ष 2016–17 में 2141.015 किलोमीटर नयी पक्की सड़क का निर्माण किया गया। नवनिर्माण पर रू0 142496.34 लाख तथा अनुरक्षण पर रू0 84840.54 लाख व्यय किया गया। इस प्रकार पक्की सडक के नव निर्माण/अनुरक्षण पर कुल रू0 227336.89 लाख व्यय किया गया।

अर्द्धपक्की सड़कः– वर्ष 2016–17 में 745.742 किलोमीटर नयी अर्द्धपक्की सड़क का निर्माण किया गया। नवनिर्माण पर रू0 26959.80 लाख तथा अनुरक्षण पर रू0 19601.90 लाख व्यय किया गया। इस प्रकार अर्द्धपक्की सडक के नव निर्माण/अनुरक्षण पर कुल रू0 46561.70 लाख व्यय किया गया।

कच्ची सड़कः– वर्ष 2016–17 में 157.870 किलोमीटर नयी कच्ची सड़क का निर्माण किया गया। नवनिर्माण पर रू0 2273.43 लाख तथा अनुरक्षण पर रू0 233.22 लाख व्यय किया गया। इस प्रकार कच्ची सडक के नव निर्माण/अनुरक्षण पर कुल रू0 2501.15 लाख व्यय किया गया।

इस प्रकार दिनांक 31–03–17 को 654 नागर निकायों में कुल पक्की सड़क की लम्बाई 47696.355 किलोमीटर, कुल अर्द्धपक्की सड़क की लम्बाई 9879.840 किलोमीटर तथा कुल कच्ची सड़क की लम्बाई 5228.772 किलोमीटर पायी गयी।

पक्की/अर्द्धपक्की/कच्ची सड़क का जनपद वार विवरण क्रमशः **तालिका संख्या–6.1, 6.2 तथा 6.3 में दर्शाया गया है।**